

गोपाल नोगिया

एडवोकेट



निवास - कार्यालय
मं. नं. 835/6, आदर्श डिग्री कॉलेज के
पीछे शान्ति नगर प्रभात मौहल्ला, अजमेर
Mob. No. 9252914995

नगर निगम, अजमेर द्वारा मानाधिकार स्विकृति हेतु स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अधिकृत अधिकृतता

दिनांक- 27/03/2018

प्रेषित:-

- (1) श्री कन्हैयालाल पुरस्वानी पुत्र श्री रामचन्द्र,
निवासी मकान नम्बर 62, गली नम्बर 02, चौधरी कॉलोनी वैशालीनगर, अजमेर।
- (2) श्री गुरनामल पुरस्वानी पुत्र स्व० श्री पेसूमल जी,
निवासी मकान नम्बर 333/15, सतगुरु मौहल्ला, खारी खुई, अजमेर।

विषय - आवासीय भूखण्ड जो कि खसरा नम्बर 547, 550, 555, 557 व 558 का भाग है
वार्क राजस्व ग्राम कोटडा अजमेर में स्थित है के आवासीय बहुमंजिला निर्माण हेतु
स्वामित्व के प्रमाण पत्र वावत

उपरोक्त संदर्भ में मैंने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जाँच की, जाँच में
स्वामित्व वावत निम्न वर्णित है। आवेदकगण (1) श्री कन्हैयालाल पुरस्वानी पुत्र श्री
रामचन्द्र निवासी मकान नम्बर 62, गली नम्बर 02, चौधरी कॉलोनी वैशालीनगर अजमेर व
(2) श्री गुरनामल पुरस्वानी पुत्र स्व० श्री पेसूमल जी निवासी मकान नम्बर 333/15,
सतगुरु मौहल्ला, खारी खुई, अजमेर को उक्त भूखण्ड सात अलग - अलग दस्तावेजों से
प्राप्त हुए। जिसमें से भूखण्ड जिसका कुल क्षेत्रफल 1016 वर्गगज है (1) श्री कन्हैयालाल
पुरस्वानी पुत्र श्री रामचन्द्र व (2) श्री गुरनामल पुरस्वानी पुत्र स्व० श्री पेसूमल जी को नगर
सुधार न्यास अजमेर द्वारा शहरी जमाबन्दी के आधार पर आवासीय प्रयोजनों के लिए भूमि
पट्टा विलेख राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की
अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि पट्टा विलेख दिनांक 26.
09.2012 को प्राप्त हुआ जिसका पंजीयन उप पंजीयक महोदय के यहां दिनांक 26.10.
2012 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 312 पृष्ठ संख्या 81 क्रम संख्या 2012007774
पर पंजीबद्ध किया जाकर अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1246 पृष्ठ संख्या 276
से 282 कर चर्खा किया गया।

इसी प्रकार भूखण्ड जिसका कुल क्षेत्रफल 361.66 वर्गगज है (1) श्री कन्हैयालाल
पुरस्वानी पुत्र श्री रामचन्द्र व (2) श्री गुरनामल पुरस्वानी पुत्र स्व० श्री पेसूमल जी को नगर
सुधार न्यास अजमेर द्वारा शहरी जमाबन्दी के आधार पर आवासीय प्रयोजनों के लिए भूमि
पट्टा विलेख राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की
अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि पट्टा विलेख दिनांक 26.
09.2012 को प्राप्त हुआ जिसका पंजीयन उप पंजीयक महोदय के यहां दिनांक 26.10.
2012 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 312 पृष्ठ संख्या 73 क्रम संख्या 2012007766
पर पंजीबद्ध किया जाकर अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1246 पृष्ठ संख्या 213
से 219 कर चर्खा किया गया।

लगातार.....2

इसी प्रकार भूखण्ड जिसका कुल क्षेत्रफल 272.22 वर्गगज है (1) श्री कन्हैयालाल पुरस्वानी पुत्र श्री रामचन्द्र व (2) श्री गुरनामल पुरस्वानी पुत्र स्व० श्री पेसूमल जी को नगर सुधार न्यास अजमेर द्वारा शहरी जमाबन्दी के आधार पर आवासीय प्रयोजनों के लिए भूमि पट्टा विलेख राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि पट्टा विलेख दिनांक 26.09.2012 को प्राप्त हुआ जिसका पंजीयन उप पंजीयक महोदय के यहां दिनांक 26.10.2012 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 312 पृष्ठ संख्या 79 क्रम संख्या 2012007772 पर पंजीबद्ध किया जाकर अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1246 पृष्ठ संख्या 255 से 261 कर चस्पा किया गया।

इसी प्रकार भूखण्ड जिसका कुल क्षेत्रफल 272.22 वर्गगज है (1) श्री कन्हैयालाल पुरस्वानी पुत्र श्री रामचन्द्र व (2) श्री गुरनामल पुरस्वानी पुत्र स्व० श्री पेसूमल जी को नगर सुधार न्यास अजमेर द्वारा शहरी जमाबन्दी के आधार पर आवासीय प्रयोजनों के लिए भूमि पट्टा विलेख राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि पट्टा विलेख दिनांक 26.09.2012 को प्राप्त हुआ जिसका पंजीयन उप पंजीयक महोदय के यहां दिनांक 26.10.2012 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 312 पृष्ठ संख्या 77 क्रम संख्या 2012007770 पर पंजीबद्ध किया जाकर अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1246 पृष्ठ संख्या 241 से 247 कर चस्पा किया गया।

इसी प्रकार भूखण्ड जिसका कुल क्षेत्रफल 299.55 वर्गगज है (1) श्री कन्हैयालाल पुरस्वानी पुत्र श्री रामचन्द्र व (2) श्री गुरनामल पुरस्वानी पुत्र स्व० श्री पेसूमल जी को नगर सुधार न्यास अजमेर द्वारा शहरी जमाबन्दी के आधार पर आवासीय प्रयोजनों के लिए भूमि पट्टा विलेख राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि पट्टा विलेख दिनांक 26.09.2012 को प्राप्त हुआ जिसका पंजीयन उप पंजीयक महोदय के यहां दिनांक 26.10.2012 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 312 पृष्ठ संख्या 78 क्रम संख्या 2012007771 पर पंजीबद्ध किया जाकर अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1246 पृष्ठ संख्या 248 से 254 कर चस्पा किया गया।

इसी प्रकार भूखण्ड जिसका कुल क्षेत्रफल 248.88 वर्गगज है (1) श्री कन्हैयालाल पुरस्वानी पुत्र श्री रामचन्द्र व (2) श्री गुरनामल पुरस्वानी पुत्र स्व० श्री पेसूमल जी को नगर सुधार न्यास अजमेर द्वारा शहरी जमाबन्दी के आधार पर आवासीय प्रयोजनों के लिए भूमि पट्टा विलेख राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि पट्टा विलेख दिनांक 26.09.2012 को प्राप्त हुआ जिसका पंजीयन उप पंजीयक महोदय के यहां दिनांक 26.10.2012 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 312 पृष्ठ संख्या 75 क्रम संख्या 2012007768 पर पंजीबद्ध किया जाकर अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1246 पृष्ठ संख्या 227 से 233 कर चस्पा किया गया।

लगातार.....3

इसी प्रकार भूखण्ड जिसका कुल क्षेत्रफल 307.22 वर्गगज है (1) श्री कन्हैयालाल पुरस्वानी पुत्र श्री रामचन्द्र व (2) श्री गुरनामल पुरस्वानी पुत्र स्व० श्री पेसूमल जी को नगर सुधार न्यास अजमेर द्वारा शहरी जमाबन्दी के आधार पर आवासीय प्रयोजनों के लिए भूमि पट्टा विलेख राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि पट्टा विलेख दिनांक 26.09.2012 को प्राप्त हुआ जिसका पंजीयन उप पंजीयक महोदय के यहां दिनांक 26.10.2012 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 312 पृष्ठ संख्या 74 क्रम संख्या 2012007767 पर पंजीबद्ध किया जाकर अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1246 पृष्ठ संख्या 220 से 226 कर चर्चा किया गया।

इस प्रकार उपरोक्त भूखण्डों पर प्रार्थीगण (1) श्री कन्हैयालाल पुरस्वानी पुत्र श्री रामचन्द्र व (2) श्री गुरनामल पुरस्वानी पुत्र स्व० श्री पेसूमल जी मालिक स्वामी काबिज है।

कार्यालय नगर निगम अजमेर द्वारा उक्त सम्पत्ति जिसका कुल क्षेत्रफल 2778.66 वर्गगज है का पूर्व में दिनांक 08.09.2017 को श्री कन्हैयालाल पुरस्वानी पुत्र श्री रामचन्द्र व श्री गुरनामल पुरस्वानी पुत्र स्व० श्री पेसूमल जी के पक्ष में भवन निर्माण मानचित्र स्वीकृत किया जा चुका है।

मेरी राय में उक्त सम्पत्ति प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच करने पर (1) श्री कन्हैयालाल पुरस्वानी पुत्र श्री रामचन्द्र व (2) श्री गुरनामल पुरस्वानी पुत्र स्व० श्री पेसूमल जी को उक्त सम्पत्ति भूखण्डों के संदर्भ में मालिकाना हक व अधिकार प्राप्त है। सम्पत्ति नगर निगम की सीमा में स्थित है।

सम्पत्ति विवरण

— आवासीय भूखण्ड जो कि खसरा नम्बर 547, 550, 555, 557 व 558 का भाग है वार्क राजस्व ग्राम कोटडा अजमेर में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल $1016.91 + 361.66 + 272.22 + 272.22 + 299.55 + 248.88 + 307.22 = 2778.66$ वर्गगज है जिसके पूर्व में 30 फुट चौड़ा रोड, पश्चिम में अन्य की सम्पत्ति, उत्तर में 60 फुट चौड़ा रोड व दक्षिण में अन्य की सम्पत्ति व 30 फुट चौड़ा रोड है।

उपरोक्त रिपोर्ट निम्न दस्तावेजों पर आधारित है

1. पट्टा विलेख दिनांक 26.09.2012
2. पट्टा विलेख दिनांक 26.09.2012
3. पट्टा विलेख दिनांक 26.09.2012
4. पट्टा विलेख दिनांक 26.09.2012
5. पट्टा विलेख दिनांक 26.09.2012
6. पट्टा विलेख दिनांक 26.09.2012
7. पट्टा विलेख दिनांक 26.09.2012
8. स्वीकृत मानचित्र दिनांक 08.09.2017


गोपाल नोगिया

Gopal Nogiya Advocate
H.No. 835/6, Behind Adarsh Girls College,
Shanti Nagar, Prabhat Mohalla, AJMER
Mobile No.-9252914995

गोपाल नोगिया

एडवोकेट



निवास - कार्यालय
मं. नं. 835/6, आदर्श डिग्री कॉलेज के
पीछे शान्ति नगर प्रभात मौहल्ला, अजमेर
Mob. No. 9252914995

नगर निगम, अजमेर द्वारा मानचित्र स्वीकृति हेतु स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अधिकृत अधिवक्ता

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि (1) श्री कन्हैयालाल पुरस्वानी पुत्र श्री रामचन्द्र निवासी मकान नम्बर 62, गली नम्बर 02, चौधरी कॉलोनी वैशालीनगर अजमेर व (2) श्री गुरनामल पुरस्वानी पुत्र स्व० श्री पेसूमल जी निवासी मकान नम्बर 333/15, सतगुरु मौहल्ला, खारी खुई, अजमेर ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के तहत भवन निर्माण करने हेतु आवासीय भूखण्ड जो कि खसरा नम्बर 547, 550, 555, 557 व 558 का भाग है वाकै राजस्व ग्राम कोटडा अजमेर में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल $1016.91 + 361.66 + 272.22 + 272.22 + 299.55 + 248.88 + 307.22 = 2778.66$ वर्गगज है के आवासीय बहुमंजिला निर्माण हेतु स्वामित्व की सर्च रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गयी है जो कि -

- (1) कि सर्च रिपोर्ट संलग्न है तथा किसी भी सारवान तथ्य को छुपाया नहीं गया है ना ही कोई तथ्य गलत रूप से प्रस्तुत ही किया गया है।
- (2) कि सर्च रिपोर्ट के तहत प्रार्थी के हक के सम्बन्ध में सभी सत्यापित दस्तावेज निम्न प्रकार से संलग्न कर दिये गये हैं-
 1. पट्टा विलेख दिनांक 26.09.2012
 2. पट्टा विलेख दिनांक 26.09.2012
 3. पट्टा विलेख दिनांक 26.09.2012
 4. पट्टा विलेख दिनांक 26.09.2012
 5. पट्टा विलेख दिनांक 26.09.2012
 6. पट्टा विलेख दिनांक 26.09.2012
 7. पट्टा विलेख दिनांक 26.09.2012
 8. स्वीकृत मानचित्र दिनांक 08.09.2017
- (3) कि प्रार्थी का आवेदन की तिथि को वैध कब्जा है।
- (4) कि प्रस्तावित स्थल भवन सरकारी नहीं है प्रार्थी की निजी सम्पत्ति है।
- (5) कि प्रार्थी ने भवन के प्रस्तुत दस्तावेजों के असलियत होने तथा अविवादित हक के बारे में एवं भवन का उपयोग आवासीय ही करेंगे, का शपथ पत्र दे दिया है।
- (6) कि प्रार्थी की भवन जिसके लिये सर्च रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गयी है, कि भूमि आवासीय है।
- (7) कि प्रार्थी का भूखण्ड नगर निगम, नगर विकास न्यास, आवासन मण्डल, सहकारी समिति की योजना का हिस्सा नहीं है।

अतः यह प्रमाण पत्र उक्तानुसार राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही हेतु नगर निगम अजमेर के लिए प्रदान किया जाता है।

दिनांक :- 27/03/2018

Gopal Nogiya Advocate
H.No. 835/6, Behind Adarsh Girls College,
Shanti Nagar, Prabhat Mohalla, AJMER
Mobile No.-9252914995